

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क 516/2017
संस्थित दिनांक- 26.12.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. श्रीभान पुत्र शिवराज यादव उम्र 26 साल
2. शिवराज पुत्र पृथ्वी सिंह यादव उम्र 50 साल
निवासीगण ग्राम सूरेल तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 08.05.2018 को घोषित)

- 01- अभियुक्त श्रीभान के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 03.10.2017 को समय 17:30 बजे से 17:40 बजे के मध्य ग्राम सूरैला पर टैक्टर क्रमांक M.P. 67 A.A. 3668 को मय थ्रेसर को बिना डाईविंग लाइसेंस एवं बिना बीमा के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक सीमाबाई की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है। वहीं अभियुक्त शिवराज के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर टैक्टर क्रमांक M.P. 67 A.A. 3668 को बिना डाईविंग लाइसेंस एवं बिना बीमा के लोक मार्ग पर अभियुक्त श्रीभान से चलवाया या चलाने की अनुमति दी।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक-03.10.2017 को फरियादी मेवाबाई, सम्पत बाई व सीमा बाई व गांव के मिश्रीलाल आदिवासी व भगवान सिंह बंजारा को सुरेल का श्रीभान यादव टैक्टर थ्रेसर पर सोयाबीन निकालने को मजदूरी पर से लाया था, उक्त लोग सोयाबीन डाल रहे थे, कि शाम साढ़े पांच बजे सीमाबाई ने थ्रेसर में सोयाबीन डाला सोई श्रीभान ने थ्रेसर को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाया, जिससे सीमाबाई की थ्रेसर में साड़ी फंस गई व मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई, मौके पर सम्पतबाई, मिश्रीलाल, भगवान सिंह थे जिन्होंने घटना देखी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-474/2017 अंतर्गत धारा-304A भा0द0वि0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 5/180, 146/196 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03- अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313

द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

| | |
|----|--|
| 1. | क्या अभियुक्त श्रीभान ने दिनांक 03.10.2017 को समय 17:30 बजे से 17:40 बजे के मध्य ग्राम सुरेला पर टैक्टर क्रमांक M.P. 67 A.A. 3668 को मय थ्रेसर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक सीमाबाई की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ? |
| 2. | क्या अभियुक्त श्रीभान ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर टैक्टर क्रमांक M.P. 67 A.A. 3668 बिना डाईविंग लाइसेंस के लोकमार्ग पर चलाया ? |
| 3. | क्या अभियुक्त श्रीभान ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर टैक्टर क्रमांक M.P. 67 A.A. 3668 को बिना बीमा धारित किये लोकमार्ग पर चलाया ? |
| 4. | क्या अभियुक्त शिवराज ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर टैक्टर क्रमांक M.P. 67 A.A. 3668 को बिना बीमा धारित किये अभियुक्त श्रीभान से चलवाया व उसे चलाने की अनुमति दी ? |
| 5. | क्या अभियुक्त शिवराज ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर टैक्टर क्रमांक M.P. 67 A.A. 3668 को डाईविंग लाइसेंस के अभियुक्त श्रीभान को चलवाया व चलाने की अनुमति दी ? |
| 6. | दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ? |

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

05—फरियादी मेवाबाई (अ0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि उसके कथन देने के लगभग चार माह पूर्व क्वार के महीने में उसकी लडकी सीमाबाई की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जानकारी उसे तब प्राप्त हुई थी, तब थूबोन चौकी पर लडकी सीमाबाई की लाश आ गई थी। मेवाबाई (अ0सा0-01) का कहना है कि उसे पता नहीं था कि उसकी लडकी किसके यहां मजदूरी करने गई थी तथा उसे यह जानकारी भी नहीं है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, उससे पुलिस वालों ने मात्र अंगूठा करा लिया था। मृतका सीमाबाई की भाभी संपत बाई (अ0सा0-02) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में

व्यक्त किया है कि मृतका सीमाबाई उसकी नन्द थीं, जिसकी मृत्यु को पांच माह का समय हो चुकी है, इस साक्षी का भी अपने कथनों में कहना है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थीं। सीमाबाई की मृत्यु के समय वह थूबोन में थी इसलिए उसको जानकारी नहीं है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई।

- 06— मृतका सीमाबाई के पति बहादुर सिंह (अ0सा0-04) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि सीमाबाई उसकी पत्नी थी, जिसकी मृत्यु चार पांच माह पूर्व हो चुकी है, परन्तु बहादुर सिंह (अ0सा0-04) का भी अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उसके साले सरबन ने सीमाबाई मृत्यु होने की जानकारी उसे दी थी, उसे यह जानकारी नहीं है कि उसकी पत्नी की मृत्यु किस कारण से हुई थीं, इस साक्षी का कहना है कि वह सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचा था और वहां उसने मृत अवस्था में अपनी पत्नी को देखा था। मिश्रीलाल (अ0सा0-03) व भगवान सिंह (अ0सा0-07) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में मेवाबाई की मृत्यु होने की पुष्टि की है, परन्तु इन दोनों का भी अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि सीमाबाई की मृत्यु किस कारण से हुई थीं और कहां हुई थीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।
- 07—अभियोजन कहानी के अनुसार घटना दिनांक को मृतका सीमाबाई सहित मां मेवाबाई (अ0सा0-01) भाभी संपतबाई (अ0सा0-02) मिश्रीलाल (अ0सा0-03) व भगवान सिंह (अ0सा0-04) ग्राम सुरेल में श्रीभान यादव के टैक्टर थ्रेसर पर सोयाबीन निकालने के लिये मजदूरी करने के लिये गये थे और वहीं श्रीभान के टैक्टर व थ्रेसर को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाने से उपरोक्त साक्षियों के समक्ष ही सीमाबाई की मृत्यु थ्रेसर में साड़ी फसने के कारण हुई थीं, जिसके संबंध में मेवाबाई (अ0सा0-01) के द्वारा देहाती नालसी प्रदर्श पी 02 लेखबद्ध कराई गई थीं अर्थात् जिस समय सीमाबाई की मृत्यु हुई थी, तो मौके पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मेवाबाई (अ0सा0-01), सम्पत बाई (अ0सा0-02), मिश्रीलाल (अ0सा0-03), भगवान सिंह (अ0सा0-04) थे।
- 08— फरियादी मेवाबाई (अ0सा0-01) सहित सम्पतबाई (अ0सा0-02) मिश्रीलाल (अ0सा0-03) बहादुर सिंह (अ0सा0-04) भगवान सिंह (अ0सा0-07) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त न्यायालीन कथनों से इन सभी साक्षियों ने अभियोजन का इस बात पर समर्थन किया है कि सीमाबाई की मृत्यु वर्ष 2017 में इन साक्षियों के कथन देने के दिनांक से लगभग चार पांच माह पूर्व हो चुकी थीं, परन्तु सीमाबाई की मृत्यु कहां पर हुई तथा उसकी मृत्यु का कारण क्या था, इस संबंध में इन सभी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन न करते हुये, सीमाबाई की मृत्यु किस कारण से हुई थी और कहां हुई थी, इसकी जानकारी होने से ही इन्कार किया है।
- 09— अभियोजन की ओर से प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी एवं मर्ग जांच के साक्षी सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) सहित चिकित्सक चंद्रपाल सिंह (अ0सा0-06) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार

शर्मा (अ0सा0-05) का अपने कथनों में कहना है कि दिनांक-03.10.2017 को उसे मोबाईल पर यह सूचना प्राप्त हुई थी, कि एक महिला ग्राम सूरेल में थ्रेसर से कट गई थी, जिसकी तस्दीक के लिये वह ग्राम सूरेल गया था तथा फरियादी मेवाबाई (अ0सा0-01) के कहे अनुसार प्रदर्श पी-02 देहाती नालासी लेखबद्ध कर प्रदर्श पी-07 का मार्ग इंटीमेशन लेख कर प्रदर्श पी-08 का शफिना फार्म पंच, मेवाबाई (अ0सा0-01), कमल सिंह, संपतबाई (अ0सा0-02), सरबन व अजय सिंह बंजारा को तलब कर तैयार किया था। इस साक्षी का यह भी कहना है कि उसने उपरोक्त साक्षियों के समक्ष ही उपरोक्त शव की जांच कर नक्शा पंचायत नामा प्रदर्श पी-09 तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिये प्रदर्श पी-10 का आवेदन लेख कर भेजा था।

10-सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) ने अपने कथनों में प्रदर्श पी-02, 07, 08, 09 व 10 के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं तथा इस साक्षी के अनुसार उसने मेवाबाई के कहे अनुसार देहाती नालासी प्रदर्श पी-02 एवं मार्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-07 लेखबद्ध की थीं, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि देहाती नालासी प्रदर्श पी-02 में वर्णित घटना के विरुद्ध मेवाबाई (अ0सा0-01) ने न्यायालय में कथन देते हुये मात्र इस बात पर अभियोजन का समर्थन किया हैं कि उसकी लडकी सीमाबाई की मृत्यु हो गई थीं, परन्तु मृत्यु किस स्थान पर व किस कारण से हुई थी, इस संबंध में उसने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। अतः मृतका सीमाबाई के मृत्यु किस स्थान पर व किस कारण से हुई थी, इस संबंध में स्वयं फरियादी मेवाबाई (अ0सा0-01) के द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन न करते हुये पुलिस को कोई कथन या घटना की सूचना न देना बताया है, जिससे सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के इन कथनों की पुष्टि मेवाबाई (अ0सा0-01) के कथनों से नहीं होती है। वास्तव में देहाती नासली प्रदर्श पी 02 की घटना मेवाबाई (अ0सा0-01) के द्वारा उसे बताई गई थीं।

11- डॉक्टर चंद्रपाल सिंह (अ0सा0-06) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक-03.10.2017 को मृतका सीमाबाई बंजारा का शव रात्रि 09:30 बजे उन्हें पोस्टमार्टम के लिये प्राप्त हुआ था, जिसके बाद दिनांक-04.10.2017 को उन्होंने सुबह 09 बजे सीमाबाई के शव का परीक्षण किया था। इस साक्षी के द्वारा अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि शव परीक्षण में उसने यह पाया था, कि सीमाबाई के सिर के कानों के ऊपर का हिस्सा कानों सहित उखड़ा हुआ था और बालों में सोयाबीन की फसल की डालियां फंसी हुई थी एवं उल्टे हाथ पर कोहनी व भुजा का भाग कुचला हुआ था, कॉलर बॉन टूटी हुई थी तथा दीमाग की हड्डी पर अस्थि भंग भी पाया गया था। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह (अ0सा0-06) कि अभिमत के अनुसार सीमाबाई की मृत्यु खून के अत्यधिक बहाव एवं शॉक लगने के कारण हुई थी।

12- डॉक्टर चंद्रपाल (अ0सा0-06) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि दिनांक 03.10.2017 को सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा प्रदर्श पी-10 का आवेदन भर कर जिस शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया

था, वो मृतका सीमाबाई का था। डॉक्टर चंद्रपाल (अ0सा0-06) के द्वारा मृतका सीमाबाई के शव की जांच के दौरान उसके शव की जो स्थिति न्यायालय में बताई है एवं सीमाबाई की मृत्यु के कारणों के संबंध में जो अभिमत दिया है, उसकी पुष्टि शव परीक्षण के दौरान डॉक्टर चंद्रपाल (अ0सा0-06) के द्वारा तैयार किये गये रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 से होती है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से भी सीमाबाई की मृत्यु एवं डॉक्टर चंद्रपाल (अ0सा0-06) के द्वारा न्यायालय में शव की स्थिति एवं दर्शाये गये मृत्यु के कारण के संबंध में दिये गये कथनों को डॉक्टर चंद्रपाल (अ0सा0-06) के प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई।

- 13- मेवाबाई (अ0सा0-01) सहित संपत बाई (अ0सा0-02), मिश्रीलाल (अ0सा0-03) व बहादुर सिंह (अ0सा0-04) व भगवान सिंह (अ0सा0-07) ने भले ही अभियुक्तगण के विरुद्ध एवं अभियोजन के समर्थन में घटना के संबंध में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये है, परन्तु फरियादी सहित सभी साक्षियों के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में मृतका सीमाबाई की मृत्यु वर्ष 2017 में होने की पुष्टि की है तथा इनमें से किसी भी साक्षी का यह कहना नहीं है कि सीमाबाई की मृत्यु सामान्य थी। डॉक्टर चंद्रपाल (अ0सा0-06) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन एवं तैयार की गई पीएम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि सीमाबाई की मृत्यु दिनांक-03.10.2017 को सामान्य मृत्यु नहीं हुई थी।
- 14- डॉक्टर चंद्रपाल (अ0सा0-06) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथन एवं तैयार किये गये पोस्टमार्टम प्रतिवेदन प्रदर्श पी-11 से इस संबंध में लेशमात्र भी संदेह नहीं रह जाता है कि सीमाबाई की मृत्यु सामान्य न होकर किसी ऐसी घटना में कारित हुई थी, जिससे उसका सिर हाथ पैर क्षतविच्छिन्न हो गये थे। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह (अ0सा0-06) ने अपने कथनों में यह भी स्पष्ट किया है कि मृतका सीमाबाई के सिर में सोयाबीन की डालियां पाई गई थी, जो कि संभवतः मृत्यु से पूर्व सीमाबाई के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, उसकी ओर इशारा करती है।
- 15- सीमाबाई की मृत्यु किस स्थान पर व किस कारण से हुई थी, इस संबंध में फरियादी मेवाबाई (अ0सा0-01) सहित मृतका के पति बहादुर (अ0सा0-04) सहित घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सम्पतबाई (अ0सा0-02) भगवान सिंह (अ0सा0-07) व मिश्रीलाल (अ0सा0-03) ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये है तथा इन सभी साक्षियों का अपने कथनों में यह कहना है कि घटना के समय वह मौके पर नहीं थे, और न ही घटना उनके सामने हुई। अतः सीमाबाई की मृत्यु वास्तव में आरोपी श्रीभान की बाखर में आरोपी श्रीभान यादव के आयशर टैक्टर व थ्रेसर में सोयाबीन निकालने की मजदूरी करने के दौरान उस थ्रेसर में फसने के कारण हुई थी, इस संबंध में फरियादी सहित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।
- 16- सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा प्रदर्श पी-02 की देहाती नालसी मेवाबाई

(अ0सा0-01) के कहे अनुसार लेखबद्ध कराना बताया है, जिसके संबंध में स्वयं मेवाबाई का कहीं भी यह कहना नहीं है कि प्रदर्श पी-02 की घटना स्वयं उसने किसी पुलिसकर्मी को लेख कराई थी। यहां तक कि स्वयं सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में यह तो बताया गया है कि ग्राम सूरेल में किसी महिला के थ्रेसर से कटने की सूचना उसे दिनांक-03.10.2017 को मोबाईल पर प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसने मौके पर पहुंचकर देहातीनालसी, मार्ग इंटीमेशन, शफीना फार्म, नक्शा पंचायतनामा आदि तैयार किया था एवं फरियादी की निशादेही पर नक्शा मौका प्रदर्श पी-01 भी तैयार किया था, परन्तु घटना स्थल वास्तव में अभियुक्त श्रीभान की बाखर थी एवं उसके द्वारा सीमाबाई का शव का परीक्षण अभियुक्त श्रीभान की बाखर में ही किया गया था, इस संबंध में इस साक्षी ने कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं।

- 17- सीमाबाई की मृत्यु अभियुक्त श्रीभान की बाखर में उसी के टैक्टर थ्रेसर से सोयाबीन निकालने के दौरान हुई थी, इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के द्वारा जहां अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया गया है वहीं सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा मात्र दिनांक-09.10.2017 को अभियुक्त के द्वारा स्वयं चौकी पर आयशर टैक्टर थ्रेसर प्रस्तुत करने पर उसे जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-11 के अनुसार जप्त करना मात्र इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता है कि उसी टैक्टर-थ्रेसर में फसने से सीमाबाई की मृत्यु हुई थी।
- 18- सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में कही यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तव में उसके द्वारा मृतका सीमाबाई का शव दिनांक-03.10.2017 को अभियुक्त श्रीभान के बाखर से ही प्राप्त किया गया था। सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा दिनांक-03.10.2017 को ही प्रदर्श पी-01 का नक्शा मौका फरियादी की निशादेही पर तैयार किया जाना बताया है तथा नक्शा मौका में मृतका के शव को श्रीभान की बाखर में जमीन पर पड़े होने का स्थान चिन्हित किया एवं मौके पर एक टैक्टर थ्रेसर भी खड़ा होना दर्शाया है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी-01 का नक्शा मौका उसमें उल्लेखित की गई बिन्दूओं की अपने आप में निश्चायक प्रमाण नहीं होता है, उक्त दस्तावेज को मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक हैं। मेवाबाई (अ0सा0-01) के द्वारा जहां इस संबंध में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया गया है, वहीं सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) ने भी अपने कथनों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वास्तव में उसने नक्शा मौका के अनुसार ही अभियुक्त श्रीभान की बाखर से ही मृतका सीमाबाई का शव बरामद किया था।
- 19- यह भी विचारणीय है कि यदि टैक्टर-थ्रेसर दिनांक-03.10.2017 को घटना स्थल पर नक्शा-मौका तैयार करते समय अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा पाया गया था, तो उक्त दिनांक को ही उक्त टैक्टर-थ्रेसर मौके से जप्त क्यों नहीं किया गया। टैक्टर थ्रेसर की जप्ती 06 दिन के पश्चात् दिनांक-09.10.2017 को जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11 के अनुसार सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा दर्शाई गई

हैं तथा उक्त दिनांक को टैक्टर-थ्रेसर जप्त की जाने की पुष्टि प्रधान आरक्षक हरनाम सिंह रघुवंशी (अ0सा0-08) के द्वारा भी की गई है, परन्तु जप्ती का स्थान वास्तव में टैक्टर थ्रेसर अभियुक्त के प्रस्तुत करने पर चौकी अथवा अभियुक्त का घर था, इस संबंध में सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) व हरनाम सिंह रघुवंशी (अ0सा0-08) के कथनों में हीं विरोधाभास की स्थिति है।

- 20- घटना दिनांक-03.10.2017 को मृतका सीमाबाई अभियुक्त श्रीभान की बाखर में उसके टैक्टर थ्रेसर पर सोयाबीन निकालने के लिये मजदूरी करने गई थी, इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं और न ही अभिलेख पर इस आशय की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है कि प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर-थ्रेसर को श्रीभान के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाया गया और उसी में फंसकर सीमाबाई की मृत्यु कारित हुई। अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य एकत्र कर अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जो यह साबित कर सके कि प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर-थ्रेसर में फंसकर ही अभियुक्त श्रीभान की बाखर में सोयाबीन निकालने के दौरान सीमाबाई की मृत्यु कारित हुई और न ही इस संबंध में कोई न्यायालय में स्पष्ट कथन दिये हैं कि वास्तव में शव किस स्थान से बरामद हुआ एवं घटना दिनांक को ही मौके से टैक्टर-थ्रेसर को जप्त क्यों नहीं किया गया।
- 21- डॉक्टर चद्रभान सिंह (अ0सा0-06) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन एवं शव परीक्षण के उपरांत तैयार किये गये पोस्टमार्टम प्रदर्श पी-11 से इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण निश्चित रूप से नहीं है कि दिनांक-03.10.2017 को हुई सीमाबाई की मृत्यु सामान्य न होकर किसी ऐसी घटना में कारित हुई थी, जिसमें उसका शरीर पूरा क्षतविच्छिन्न हो गया था एवं अत्यधिक रक्त स्त्राव व शॉक लगने से मृत्यु हुई थी, परन्तु सीमाबाई की मृत्यु प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर व थ्रेसर को अभियुक्त श्रीभान के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाने के कारण उक्त टैक्टर-थ्रेसर में सीमाबाई के फसने के कारण हुई थीं, इसको साबित करने के लिये अभियोजन के पास न तो अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है और न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध है।
- 22- अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा घटना स्थल के संबंध में न्यायालय में दिये गये कथन स्पष्ट नहीं है, वहीं जप्तशुदा टैक्टर थ्रेसर की जप्ती जो कि घटना के 06 दिन बाद अभियुक्त के स्वयं चौकी पर प्रस्तुत करने पर जप्त करने मात्र आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि जप्तशुदा टैक्टर थ्रेसर को अभियुक्त श्रीभान के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाने के दौरान, इसी जप्तशुदा टैक्टर-थ्रेसर में फसने से सीमाबाई की मृत्यु कारित हुई थीं।
- 23- परिणाम स्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि दिनांक-03.10.2017 को हुई सीमाबाई की मृत्यु सामान्य न होकर किसी घटना में कारित हुई थी, परन्तु अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरह से

असफल रहा है कि अभियुक्त श्रीभान ने ही दिनांक-03.10.2017 को समय 17:30 बजे से 17:40 बजे के मध्य ग्राम सुरेला पर टैक्टर क्रमांक M.P. 67 A.A. 3668 को मय थ्रेसर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक सीमाबाई की मृत्यु कारित की तथा उक्त मृत्यु आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, 5 व 6 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 24- अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शित करती हो कि वास्तव में घटना किस स्थान की है तथा किस व्यक्ति के द्वारा कारित की गई है, एवं किस वाहन से कारित हुई है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा निश्चित रूप से प्रकरण में अभियुक्त के प्रस्तुत करने पर आयशर टैक्टर एवं एक थ्रेसर जप्त करना बताया है। प्रकरण में इस तथ्य को भी अभियुक्तगण के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है कि प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर व थ्रेसर अभियुक्त शिवराज के स्वामित्व व अधिपत्य का है, जो अभियुक्त श्रीभान से अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा जप्त किया गया है।
- 25- अतः यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर व थ्रेसर अभियुक्त शिवराज के स्वामित्व व अधिपत्य जो अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा अभियुक्त श्रीभान से जप्त किया गया है, परन्तु मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा (अ0सा0-05) के द्वारा की गई उपरोक्त जप्ती को यदि सही मान भी लिया जावे, तो उक्त टैक्टर और थ्रेसर की प्रकरण में जप्ती मात्र यह प्रमाणित नहीं करती है कि प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर व थ्रेसर को अभियुक्त श्रीभान ने बिना डाईविंग लाईसेंस एवं बीमा धारित किये हुये लोक मार्ग पर चलाया या टैक्टर और थ्रेसर के स्वामी शिवराज सिंह ने उक्त टैक्टर-थ्रेसर को अभियुक्त को लोक मार्ग पर यह जानते हुये चलाने की अनुमति दी थी, कि अभियुक्त के पास टैक्टर और थ्रेसर चलाने का डाईविंग लाईसेंस व उक्त वाहन का बीमा नहीं है।
- 26- अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा का कहना है कि मौके पर टैक्टर व थ्रेसर और अभियुक्त घटना दिनांक को नहीं मिले थे, क्योंकि अभियुक्त टैक्टर और थ्रेसर को भगा कर ले गया, इसलिए उक्त दिनांक को उसने टैक्टर और थ्रेसर की जप्ती व अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की परन्तु यदि इस साक्षी के उपरोक्त कथन सत्य है, तो नक्शा मौका प्रदर्श पी-01 में उसके द्वारा किस टैक्टर व थ्रेसर को नक्शे में दर्शाया गया है, यह समक्ष से परे है। यदि नक्शा मौका बनाते समय अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा मौके पर टैक्टर और थ्रेसर पाया गया है, तो उक्त दिनांक को ही जप्ती क्यों नहीं की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने अपनी मौखिक साक्ष्य एवं नक्शा मौका में यह स्पष्ट किया है कि जिस टैक्टर और थ्रेसर को नक्शा मौका प्रदर्श पी-01 में चिह्नित किया गया है, वहीं जप्तशुदा टैक्टर व थ्रेसर है। अतः ऐसे में प्रकरण में की गई जप्ती के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है कि जप्तशुदा टैक्टर थ्रेसर से ही घटना कारित

हुई थी।

- 27— घटना दिनांक को टैक्टर व थ्रेसर का बीमा न होना तथा उसे चलाने का अभियुक्त के पास डाईविंग लाइसेंस न होना अपने आप में मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध नहीं है, जब तक कि यह साबित न कर दिया जावे कि ऐसे दस्तावेज न रहते हुये, उक्त टैक्टर व थ्रेसर को लोक मार्ग पर अभियुक्त के द्वारा चलाया गया, या जब ऐसे लोक मार्ग पर उक्त टैक्टर व थ्रेसर चलाया गया था, तो उसके चलाने की अनुमति उसके टैक्टर व थ्रेसर के स्वामी के द्वारा दी गई। प्रकरण में न तो अभियोजन की ऐसी कहानी है कि जप्तशुदा टैक्टर थ्रेसर को अभियुक्त ने लोक मार्ग पर बिना बीमा व डाईविंग लाइसेंस रहते हुये चलाया, तथा इसकी अनुमति टैक्टर व थ्रेसर के स्वामी अभियुक्त शिवराज के द्वारा अभियुक्त श्रीभान को दी गई। वहीं अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से न तो प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर का घटना कारित करना प्रमाणित है, और न ही यह प्रमाणित है कि जप्तशुदा टैक्टर को अभियुक्त श्रीभान ने बिना बीमा व डाईविंग लाइसेंस के लोक मार्ग पर चलाया एवं ऐसा करने की अनुमति श्रीभान को टैक्टर व थ्रेसर के स्वामी अभियुक्त शिवराज के द्वारा दी गई।
- 28— परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त श्रीभान ने दिनांक 03.10.2017 को समय 17:30 बजे से 17:40 बजे के मध्य ग्राम सूरला पर टैक्टर क्रमांक M.P. 67 A.A. 3668 को मय थ्रेसर को बिना डाईविंग लाइसेंस एवं बिना बीमा के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक सीमाबाई की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है, वहीं यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त शिवराज ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर टैक्टर क्रमांक M.P. 67 A.A. 3668 को बिना डाईविंग लाइसेंस एवं बिना बीमा के लोक मार्ग पर अभियुक्त श्रीभान से चलवाया या चलाने की अनुमति दी।
- 29— फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त श्रीभान पुत्र शिवराज यादव को भा0द0वि0 की धारा 304A एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त श्रीभान पुत्र शिवराज यादव को भा0द0वि0 की धारा 304A एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है। वहीं अभियुक्त शिवराज पुत्र पृथ्वी सिंह यादव के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त शिवराज पुत्र पृथ्वी सिंह यादव को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 30—अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा टैक्टर क्रमांक M.P. 67 A.A. 3668 मय थ्रेसर के पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अपील न होने की दशा में सुपुर्दगीनामा वाद मियाद अपील भारमुक्त

समझा जावेगा।अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। अभियुक्तगण धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

